[2019] 8 एस. सी. आर 702

बीरेंद्र प्रसाद साह

बनाम्

बिहार राज्य और अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 000868/2019)

08 मई, 2019

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ न्यायाधीश और

हेमंत गुप्ता, न्यायाधीश]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:धारा 482-धारा 138 एन. आई. अधिनियम के तहत किये गए अपराध के संज्ञान का रद्दीकरण-अपीलार्थी का मामला यह था कि प्रत्यर्थी द्वारा उसके पक्ष में जारी किए गए चेकों के अस्वीकृति के संबंध में बैंक से 4.12.2015 को ज्ञापन प्राप्त होने पर, अपीलार्थी ने 31.12.2015 को एक कानूनी नोटिस जारी किया-अपीलार्थी के अनुसार, 14.2.2016 और 23.2.2016 के बीच, उसने डाक विभाग के साथ पूछताछ किए लेकिन उसे तामीला का कोई प्रमाण प्रदान नहीं किया गया-तदनुसार 26.2.2016 को, उसने दूसरी सुचना जारी की-इसका उत्तर प्रतिवादी द्वारा 2.3.2016 को दिया गया था-इसके बाद, 11.5.2016 को, अपीलार्थी नेधारा 138 के तहत शिकायत दर्ज की-दंडाधिकारी ने शिकायत दर्ज करने में देरी को माफ कर दिया और अपराध का संज्ञान लिया-उच्च न्यायालय ने माना कि शिकायत तीस दिनों की वैधानिक अवधि के भीतर दायर नहीं की गई थी और कार्यवाही को रद्द कर दिया-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया:शिकायत में अपीलार्थी ने विशेष रूप से इस परिस्थिति का वर्णन किया था कि डाक विभाग को बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, सुचना की कोई पावती की स्वीकृति उन्हें नहीं दी

गई थी-इस परिस्थिति में, अपीलार्थी ने दूसरा नोटिस जारी किया-परंतुक (ख) से धारा-138 में निर्दिष्ट आवश्यकता यह है कि अपमान का ज्ञापन प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर सुचना जारी किया जाना चाहिए था-यह 31.12.2015 दिनांकित पहली सुचना थी जो धारा-138 के तहत शिकायत के लिए कार्रवाई का कारण था। शिकायत 11.5.2016 को धारा-142(1) के तहत दर्ज की गई थी। उस तारीख से एक महीने के भीतर शिकायत दर्ज की जानी चाहिए जिस दिन धारा-138 के परंतुक के खंड (ग) के तहत कार्रवाई के कारण उत्पन्न हुआ है। हालांकि, परंतुक में कहा गया है कि अदालत द्वारा निर्धारित अवधि के बाद शिकायत का संज्ञान लिया जा सकता है, अगर शिकायतकर्ता अदालत को संतुष्ट करता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर शिकायत नहीं करने का पर्याप्त कारण था-शिकायत दर्ज करने में देरी को शिकायत में संतोषजनक रूप से समझाया गया था-उच्च न्यायालय ने केवल इस धारणा पर जोर दिया था कि पहली सुचना जो स्वीकृत समझी गयी थी यदि वह सामान्य प्रसंग/तरीके से भेजी गयी थी, भले ही वह अनुमान लागू था, अपीलार्थी द्वारा इसके लिए शिकायत दर्ज करने में देरी का पर्याप्त कारण दिखाया गया था। उच्च न्यायालय के आदेश को, अतः, दरकिनार कर दिया जाता है और शिकायत को निचली अदालत की संचिका-परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के उप धारा-138 केपरंतुक, खंड (ख), (ग),धारा-142 (1) के अंतर्गत संभाल कर रखा जाता है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :-

शिकायत 11 मई 2016 को दर्ज की गई थी। धारा 142 (1) के तहत, धारा 138 के परंतुक के खंड (सी) के तहत कार्रवाई का कारण उत्पन्न होने की तारीख से एक महीने के भीतर शिकायत दर्ज की जानी है। हालांकि परंतुक में कहा गया है कि अदालत द्वारा निर्धारित अवधि के बाद शिकायत का संज्ञान लिया जा सकता है, अगर शिकायतकर्ता अदालत को संतुष्ट करता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर शिकायत नहीं करने का पर्याप्त कारण था। शिकायत के अनुछेद 7 और 8 दोनों में, अपीलार्थी ने निर्धारित अवधि के भीतर शिकायत दर्ज करने में सक्षम नहीं होने के लिए पर्याप्त और पर्याप्त कारणों का संकेत दिया। मुख्या न्यायिक दंडाधिकारी ने 6 अप्रैल

2018 से शुरू होने वाली अवधि के लिए अपीलार्थी द्वारा दिखाए गए कारण पर देरी को माफ कर दिया। उच्च न्यायालय ने केवल इस धारणा को स्वीकार किया है कि यदि पहली सुचना सामान्य तरीके से भेजा जाता है तो उसे जारी किया गया माना जाएगा। भले ही वह धारणा लागू होती है, अपीलार्थी द्वारा 31 दिसंबर 2015 को पहली कानूनी सूचना जारी करने के रूप में शिकायत के आधार पर शिकायत दर्ज करने में देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण दिखाया गया था। उच्च न्यायालय का विवादित फैसला अस्थिर है। एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया जाता है।तदनुसार शिकायत को निचली अदालत की फाइल में बहाल कर दिया गया। [अनुछेद 11,12]

[707-सी-एफ; 708-क-ख] एमएसआर लेदर बनाम एस. पलानीअप्पन (2013) 1 एससीसी 177:[2012] 9 एस. सी. आर. 165-संदर्भित।

<u>मामला कानून संदर्भ</u>

[2012] 9 एससीआर 165	अनुछेद 7	को संदर्भित

आपराधिक याचिका न्याय निर्णयः आपराधिक याचिका संख्या 868/2019

आपराधिक विविध संख्या 27495/2017 में पटना के उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार पटना के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 10.05.2018 से।नागेंद्र राय, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री प्रेरणा सिंह, शांतनु सागर, आकाश और सुश्री प्रिया रंजन अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

जय सौला, वरिष्ठ अधिवक्ता, केशव मोहन, ऋषि के. अवस्थी, संतोष कुमार-I, अरविंद गुप्ता और संजीव कुमार वर्मा, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, द्वारा दिया गया था।

निर्णय

1. विलंब माफ कर दिया गया।

2. अनुमति दी गई।

3. यह अपील पटना उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश के 10 मई 2018 के फैसले से उत्पन्न होती है, जिसके द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1888 की धारा 138 के तहत एक अपराध का संज्ञान लेने वाले आदेश को रद्द कर दिया गया है।

4. तथ्यों का संक्षेप में उल्लेख इस प्रकार हैः

5. बेगूसराय के यूको बैंक द्वारा 20 नवंबर, 2015 को जारी किए गए ज्ञापन के तहत भारतीय स्टेट बैंक पर 36,00,000 रुपये और 13,00,000 रुपये के दो चेक का भुगतान नहीं किया गया था। अपीलकर्ता को 4 दिसंबर, 2015 को ज्ञापन प्राप्त हुआ। इसके बाद 31 दिसंबर, 2015 को चेक के बाउंस होने की सूचना देते हुए एक कानूनी नोटिस जारी किया गया। अपीलकर्ता के अनुसार, 14 फरवरी 2016 और 23 फरवरी 2016 के बीच, उसने डाक विभाग से पूछ ताछ किए, लेकिन सेवा का कोई सबूत प्रदान नहीं किया गया। तदनुसार, 26 फरवरी, 2016 को दूसरा कानूनी नोटिस जारी किया गया। इसका जवाब दूसरे प्रतिवादी द्वारा 2 मार्च 2016 को दिया गया। आखिरकार, धारा 138 के तहत एक शिकायत 11 मई 2016 को शुरू की गई थी।

6. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बेगूसराय ने 14 जुलाई, 2016 के एक आदेश द्वारा शिकायत दर्ज करने में विलंब को माफ कर दिया।संज्ञान लेते हुए, सीजेएम ने दूसरे प्रतिवादी को समन जारी किया। दूसरे प्रत्यर्थी ने सत्र न्यायाधीश के समक्ष पुनरीक्षण बाद दाखिल की, जिसे 8 मार्च, 2017 को अस्वीकार कर दिया गया। सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय में एक और सहारा लेते हुए,

विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि धारा 138 के तहत शिकायत धारा 138 के तहत निर्धारित तीस दिनों की वैधानिक अवधि के भीतर दायर नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप कार्यवाही रद्द कर दी गई थी।

7. उच्च न्यायालय के निर्णय की आलोचना करते हुए श्री नागेन्द्र राय ने वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि एमएसआर लेदर बनाम एस. पलानीअप्पन 2 वाले मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने यह विचार व्यक्त किया है कि विधान के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए धारा 138 के उपबंधों के अधीन उत्तरोत्तर सूचनाएं जारी करना अनुज्ञेय है। इसके अलावा, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि शिकायत की संस्था में विलंब को सीजेएम द्वारा धारा १४२ के तहत माफ कर दिया गया था.इसलिए, कार्यवाही को रद्द करने में उच्च न्यायालय की ओर से एक त्रुटियां थी।

8. दूसरी ओर, श्री जय सावला, दूसरे प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया किः

(i) दूसरा कानूनी नोटिस दिनांक 26 फरवरी, 2016 को 4 दिसंबर, 2015 को अस्वीकृति का ज्ञापन प्राप्त होने के तीस दिन की अवधि के बाद भेजा गया था और इसलिए यह आपराधिक शिकायत की वैध संस्था का आधार नहीं हो सकता है;

(ii) यदि शिकायत केवल 31 दिसंबर, 2015 के पहले कानूनी नोटिस के आधार पर की जा सकती थी, जो अस्वीकृति का ज्ञापन प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर था;

(iii) 11 मई, 2016 को दर्ज की गई शिकायत प्रथम नोटिस जारी होने की तिथि से निर्धारित अवधि से बाद की थी।

(iv) सीजेएम ने दूसरी नोटिस जारी करने के बाद केवल 6 अप्रैल 2016 के बाद की अवधि के लिए शिकायत दर्ज करने में हुई देरी को माफ कर दिया था।

(v) एम. एस. आर. लेदर्स (उपर्युक्त) में तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ के निर्णय में, चैक को पुनः प्रस्तुत किया गया जिसके परिणामस्वरूप, एक नई सूचना को विधि के दायरे में अभिनिर्धारित किया गया।

9. धारा 138 इस प्रकार उपबंध करती हैः

> "138. खाते में निधियों की अपर्याप्तता आदि के कारण चेक का अनादरण-
>
> जहां किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को उस खाते में से किसी राशि के भुगतान के लिए किसी बैंकर के साथ उसके द्वारा रखे गए खाते पर आहरित कोई चेक
>
> (क) किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्णतः या भागतः उन्मोचन का बैंक द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है, या तो इस कारण से कि उस खाते में जमा धनराशि चेक का सम्मान करने के लिए अपर्याप्त है या यह उस राशि से अधिक है जो उस बैंक के साथ किए गए किसी करार द्वारा उस खाते से भुगतान करने की व्यवस्था की गई है, ऐसे व्यक्ति को एक अपराध किया गया समझा जाएगा और इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना, उसे 3 [एक अवधि जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है] कारावास से, या जुर्माने से, जो चेक की राशि को दोगुना कर सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा। परन्तु इस धारा की कोई बात तब तक लागू नहीं होगी जब तक -
>
> (ख) आदाता या धारक, यथास्थिति, चेक के सम्यक अनुक्रम में, चेक के आहरणकर्ता को लिखित रूप में सूचना देकर उक्त धनराशि के भुगतान की मांग करता है, चेक की वापसी के संबंध में उसके द्वारा बैंक से सूचना प्राप्त होने के [तीस दिनों के भीतर], और

(ग) ऐसे चेक का आहरणकर्ता उक्त सूचना की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर, यथास्थिति, पाने वाले को या धारक को चेक के सम्यक् अनुक्रम में उक्त धनराशि का भुगतान करने में विफल रहता है।"

10. वर्तमान मामले में, उपर्युक्त तथ्यों से संकेत मिलता है कि अपीलकर्ता ने 31 दिसंबर, 2015 को एक कानूनी नोटिस जारी किया था। यह 4 दिसंबर 2015 को अनादर का ज्ञापन प्राप्त होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर था। नतीजतन, धारा 138 के परंतुक (बी) में निर्धारित आवश्यकता पूरी की गई। (ग) में इस आवश्यकता का उल्लेख किया गया है कि चेक का आहरणकर्ता नोटिस प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर धारक या आदाता को भुगतान करने में विफल रहा है। दूसरा प्रत्यर्थी तथ्य के रूप में स्वीकार नहीं करता है कि ३१ दिसंबर २०१५ दिनांकित कानूनी नोटिस उसे दिया गया था। अपीलार्थी ने शिकायत में विशेष रूप से स्थिति का वर्णन किया है कि डाक विभाग से बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, नोटिस की कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं किया गया था। इन परिस्थितियों में अपीलकर्ता ने 26 फरवरी, 2016 को दूसरा नोटिस जारी किया। चूंकि हम धारा 138 के परंतुक (बी) में निर्दिष्ट आवश्यकता के बारे में जानते हैं, कि नोटिस अनादर का ज्ञापन प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर जारी किया जाना चाहिए, इसलिए हमने इस आधार पर कार्रवाई की है कि यह 31 दिसंबर 2015 का पहला नोटिस है जो धारा 138 के तहत शिकायत के लिए कार्रवाई का कारण बनता है।

11. शिकायत 11 मई, 2016 को शुरू की गई थी।धारा 142 (1) के तहत, धारा 138 6 के प्रावधान के खंड (सी) के तहत जिस तारीख को वाद हेतुक उत्पन्न हुआ है, उसके एक महीने के भीतर शिकायत दर्ज की जानी चाहिए। तथापि, परंतुक यह अनुबंधित करता है कि शिकायत का संज्ञान न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के बाद लिया जा सकता है, यदि शिकायतकर्ता न्यायालय को यह संतुष्ट करता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर शिकायत न करने का पर्याप्त कारण था। शिकायत के पैराग्राफ 7 और 8 दोनों में, अपीलकर्ता ने निर्धारित अवधि के भीतर शिकायत संस्थित करने में सक्षम नहीं होने के पर्याप्त और पर्याप्त कारणों का संकेत दिया.इन्हें

ऊपर अधिसूचित किया गया है। सीजेएम ने 6 अप्रैल 2018 से शुरू होने वाली अवधि के लिए अपीलकर्ता द्वारा दिखाए गए कारण पर देरी को माफ कर दिया। हालांकि, यदि शिकायत के पैराग्राफ 7 और 8 को एक साथ पढ़ा जाए, तो यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता ने शिकायत की संस्था में देरी की माफी मांगने के लिए पर्याप्त कारण इंगित किया था। उच्च न्यायालय ने केवल इस पूर्वानुमान पर जोर दिया है कि पहला नोटिस यदि सामान्य तरीके से भेजा जाता है तो उसे जारी माना जाएगा। यहां तक कि अगर यह धारणा लागू होती है, तो हमलोगों का यह विचार है कि अपीलार्थी द्वारा शिकायत के आधार पर शिकायत शुरू करने में विलंब को क्षमा करने के लिए 31 दिसंबर, 2015 को पहली कानूनी नोटिस जारी करने के रूप में पर्याप्त कारण दिखाया गया था।

12. हमने जो दृष्टिकोण अपनाया है, उसमें हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय टिकाऊ नहीं है। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है और विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया जाता है। तदनुसार, शिकायत निचली अदालत की फाइल में बहाल हो जाएगी।

13. हमने प्रतिद्वंद्वी दलीलों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है, जिस पर सुनवाई के दौरान निर्णय लिया जाएगा।

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़], न्यायमूर्ति

[हेमंत गुप्ता], न्यायमूर्ति

नई दिल्ली

8 मई, 2019

खण्डन (डिस्क्लेमर) :– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।

आइटम नंबर 43 | कोर्ट नंबर 11 | सेक्शन II-A

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

कार्यवाही का अभिलेख

अपील के लिए विशेष अनुमति याचिका/याचिकाएं (आपराधिक) सं. 10811/2018 (पटना में उच्च क्षेत्राधिकार द्वारा पारित सीआरएलएम संख्या 27495/2017 में दिनांक 10-05-2018 के आक्षेपित अंतिम निर्णय और आदेश से उत्पन्न)

बीरेंद्र प्रसाद सिंह

याचिकाकर्ता

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

प्रतिवादी

तिथि:08-05-2019 यह याचिका आज सुनवाई के लिए पुकारी गई थी।

द्वाराः माननीय न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़

माननीय न्यायमूर्ति श्री हेमंत गुप्ता

याचिकाकर्ताओं के लिए श्री नागेन्द्र राय, वरिष्ठ अधिवक्ता

सुश्री प्रेरणा सिंह, एडवोकेट

श्री शांतनु सागर, एओआर

श्री आकाश, एडवोकेट

सुश्री प्रिया रंजन, एडवोकेट

प्रतिवादी के लिए श्री केशव मोहन, एडवोकेट

श्री ऋषि के. अवस्थी, अधिवक्ता

श्री संतोष कुमार-I, एओआर

श्री जे. सौला, वरिष्ठ एडवोकेट

श्री अरविंद गुप्ता, एओआर

श्री संजीव कुमार वर्मा, एडवोकेट

वकील को सुनते हुए न्यायालय ने निम्नलिखित बनाया

आदेश में देरी को माफ कर दिया गया।

अनुमति दी गई।

अपील को हस्ताक्षरित रिपोर्ट योग्य निर्णय के संदर्भ में अनुमति दी गई है।

लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निष्पादित किये जाते हैं।

(मनीष सेठी) (सरोज कुमारी गौर)

कोर्ट मास्टर (एसएच) शाखा अधिकारी

(हस्ताक्षरित रिपोर्ट योग्य निर्णय फाइल पर रखा गया है)